P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017

E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

मुस्लिम स्त्रियों में भूमिका संरचना एवं सामंजस्य : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

बालक राम राजवंशी
गेस्ट फैकल्टी,
समाजशास्त्र विभाग
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय,
बी0जी0आर0 परिसर पौड़ी,
उत्तराखण्ड

सारांश

प्रस्तुत शोध सामान्य रूप से शिक्षित मुस्लिम स्त्रियों के बदलते व्यवहार प्रतिमानों पर आधारित है। वास्तव में इस शोध का मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण के सन्दर्भ में मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करने हेतु मुस्लिम स्त्रियों की परम्परागत और आधुनिक भूमिकाओं से उत्पन्न भूमिका तनावों और भूमिका सामंजस्य के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं गतिशीलता के प्रभावों का गहन अध्ययन करना है।

मुख्य शब्दःमहिला, मुस्लिम समुदाय, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भूमिका सामंजस्य।

प्रस्तावना

भारत में लगभग 70 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक परिवर्तन हुए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप ही अधिक से अधिक संख्या में स्त्रियाँ चाहे वे हिन्दू हों मुस्लिम या क्रिश्चियन हों, अब पर्दे के घूँघट की ओट से छिपी स्त्रियों का संसार घर की चारदीवारी तथा उसमें सिमटे उनके कार्यों के बाहर आ चुका है। आज की स्त्री का व्यक्तित्व कमजोर स्त्रियों का व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरे दमकते चेहरे वाली आधुनिक स्त्री का हो गया है। आधुनिक स्त्रियाँ अब घरेलू मात्र न होकर पति के समानान्तर प्रतिनिधि हो गयी हैं तथा उन्होंने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं। शिक्षित विवाहित स्त्रियों को घर एवं बाहर दोनों जगहों पर सामन्जस्य स्थापित करना पड़ता है। विवाहित एवं कार्यशील मुस्लिम स्त्रियों की दोहरी भूमिका होती है। एक साथ वे कर्मचारी एवं ग्रहणी होती हैं। इन दोनों भूमिकाओं के मध्य संघर्ष की भूमिका उत्पन्न होने लगती है। यदि वे घरेलू भूमिका भलीभाँति निर्वाह करती हैं तो वाह्य भूमिका को ठेस पहुँचने लगती हैं। यदि वे वाह्य भूमिका में अत्यधिक रुचि लें तो घरेलू भूमिका धूमिल पड़ने लगेगी। इस प्रकार मुस्लिम स्त्रियों के जीवन में अत्यन्त कोमल संतुलन की समस्या है। यदि परिवार के सदस्य उनकी दोनों भूमिकाओं को समर्थन न दें तो वह परिवार और कार्यक्षेत्र में भली भाँति समायोजन नहीं कर सकती हैं।

मुस्लिम स्त्रियों के परिवारों के सदस्यों की भूमिकाओं को अनके दायित्वों व कर्तव्यों की दृष्टि से अभी तक पुनः परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए उनके परिवार में संघर्ष की अधिक सम्भावनाएँ जन्म लेती दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि यदि मुस्लिम स्त्रियाँ बदलती परिस्थिति से स्वयं को समायोजन लायक बनाएँ तो उनके लिये सामंजस्य की समस्या अधिक चौंका देने वाली बन सकती है। यदि एक व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में किसी काम की नई भूमिका निभाने का अभ्यस्त न हो तो निश्चय ही उसके समकक्ष वर्तमान में भूमिका समायोजन का प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी समुदायों में पुरुषों की तुलना में स्त्री के कार्यों को कम सम्मान मिलता है। अतः स्त्रियों का पुरुषों के कामधन्धों को अपनाना, उनकी नौकरी वाली प्रतिष्ठा के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना है।

साहित्य की समीक्षा

श्यामाचरण, दुबे (1963:202) ने भी स्त्री की बदलती परिस्थितियों के सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार लिखा है कि ''समकालीन भारतीय समाज में स्त्री के स्थान और उसकी भूमिका के सम्बन्ध में प्रचलित परम्परागत मान्यताएँ धीरे–धीरे बदलती जा रहीं हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के सुअवसर, बढ़ती भौगोलिक तथा व्यवसायिक गतिशीलता तथा नये आर्थिक ढाँचों का उदय ही इस प्रवृत्ति के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है।''आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय मुस्लिम स्त्रियाँ अपना स्थान सुरक्षित कर चुकी हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, खेलकूद का हो या मनोरंजन का राजनीतिक हो या फिर प्रशासन का, प्रत्येक क्षेत्र में मुस्लिम स्त्रियों को

देखा जा सकता है। कुछ समृद्ध व आधुनिक परिवारों की लड़कियाँ अब फैशन मॉडल और विज्ञान प्रचारित भी हैं और सौन्दर्य विशेषज्ञ भी। लेकिन यह प्रगति अधिकतर उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित है जिनमें मध्य वर्गीय लड़कियाँ आज भी संघर्षरत है। निम्न वर्गों में अभी भी अशिक्षा का राज्य है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 1930 का ''शरीयत् कानून'' भी नई करवट लेगा और भारत की सभी मुस्लिम स्त्रियों को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।

एन0 फातिमा (1975) नें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर एवम् इसके आसपास निवास करने वाली ''शिक्षित एवं अशिक्षित मुस्लिम स्त्रियों के विवाह व परिवार की आधुनिक अवधारणा एवं वैवाहिक सामंजस्य के प्रति दृष्टिकोण'' को ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया जिसके मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे –

1. वैवाहिक सामंजस्य में शैक्षिक एवम् आर्थिक स्तर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।
2. कुछ हद तक वैवाहिक समन्वय में आयु महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 26 से 45 वर्ष तक का वैवाहिक जीवन अत्यधिक सफल पाया गया।
3. कम धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का वैवाहिक जीवन अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की तुलना में अधिक सुखमय था।
4. तलाक के प्रति, पत्नी के एकाधिकार से शिक्षित एवम् गैर शिक्षित दोनों ही वर्गों की मुस्लिम महिलाएँ असहमति रखती थी।
5. बहुपत्नी प्रथा का शिक्षित एवम् अशिक्षित दोनों ही वर्गों की स्त्रियों नें विरोध किया।

रॉस (1961 : 87) किसी एक स्त्री का जीवन उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों, उसके पड़ोसियों, समुदायों, समुदाय के अन्य सदस्यों, उसका समाजीकरण, उसके कार्यशील, सहयोगियों और मालिकों तथा मित्रों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जब कोई स्त्री अपनी जीवन–शैली और अपने मूल्यों को बदल कर अपने अन्दर के तनाव को काबू करने की कोशिश करती है तो इन सम्बन्धों से उनको या तो सहायता मिलती है या फिर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। वह जो कुछ करने की कोशिश करती है उससे असहमत होने वाले लोग अपने सम्बन्धों का उपयोग उसको ऐसा करने से रोकने के लिए करते हैं। मुस्लिम स्त्रियों के परिवारों के सदस्यों की भूमिकाओं को अनके दायित्वों व कर्तव्यों की दृष्टि से अभी तक पुनः परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए उनके परिवार में संघर्ष की अधिक सम्भावनाएँ जन्म लेती दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि यदि मुस्लिम स्त्रियाँ बदलती परिस्थिति से स्वयं को समायोजन लायक बनाएँ तो उनके लिये सामंजस्य की समस्या अधिक चौंका देने वाली बन सकती है। यदि एक व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में किसी काम की नई भूमिका निभाने का अभ्यस्त न हो तो निश्चय ही उसके समकक्ष वर्तमान में भूमिका समायोजन का प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी समुदायों में पुरुषों की तुलना में स्त्री के कार्यों को कम सम्मान मिलता है। अतः स्त्रियों का पुरुषों के कामधन्धों को अपनाना, उनकी नौकरी वाली प्रतिष्ठा के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना है। जबकि दूसरी ओर पुरुषों का स्त्रियों के कामों को करना निम्न स्तर की ओर बढ़ना माना जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं–

1. मुस्लिम स्त्रियों में पारिवारिक निर्णय एवं भूमिका संरचना तथा सामन्जस्य की स्थिति का अध्ययन करना।
2. मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले आयामों का अध्ययन करना।
3. उनमें सामाजिक परिवर्तन के प्रति रूझान को ज्ञात करना।
4. उनमें आधुनिक जीवन–शैली के प्रति बढ़ती हुई रूचि का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

1. धार्मिक व सामाजिक दबाव के फलस्वरूप मुस्लिम स्त्रियों में आधुनिक जीवन शैली अपनाने की ओर रूझान बढ़ रहा है।
2. मुस्लिम स्त्रियों में पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

अध्ययन की परिसीमाएँ

शोधार्थी द्वारा उपलब्ध समय एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये अनुसन्धान के विशेष क्षेत्र को सीमित करना होता है। प्रस्तुत शोध निम्नांकित परिसीमाओं के अन्तर्गत पूर्ण किया गया है।

1. प्रस्तुत शोध कार्य केवल शिक्षित एवं कार्यशील मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा एवं उनकी सामाजिक गतिशीलता पर किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध लखनऊ महानगर के नगर निगम के वार्ड वजीरगंज में निवास करने वाली तथा लखनऊ नगर में स्थित कार्यालयों में कार्यशील मुस्लिम स्त्रियों पर ही आधारित है।
3. प्रस्तुत शोध केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में समस्या की प्रकृति को दृष्टि में रखते हुये वर्णात्मक शोध प्रचना एवं सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है।

जनसंख्या एवं न्यायदर्श

प्रस्तुत अध्ययन में कार्यशील मुस्लिम स्त्रियों को शोध की जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिनकी आयु 18–60 वर्ष के मध्य है। इस अध्ययन हेतु उत्तरदाताओं का चयन टारो यामने(1970) के द्वारा दिये गये निम्नलिखित गणितीय सूत्र द्वारा किया गया है–

$$\text{Sample Size(n)} = \frac{n}{1+Ne^2}$$

Where, n= Total Number of Universe
E = error (0.05)

गणितीय सूत्र का प्रयोग करने पर

$$\text{Sample Size} = \frac{2890}{1+2890(0.05)^2} = \frac{2890}{9.15} = 315.84$$

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017

E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

अतः निदर्शन का आकार 315.84 के स्थान पर अध्ययन हेतु 300 इकाईयों को चयनित किया गया है।

प्रस्तुत शोध के उपकरण

आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वयं द्वारा संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है जिसमें बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को रखा गया तथा प्राप्त तथ्यों को सारणी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

परिणाम एवं विवेचना

प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि मुस्लिम स्त्रियाँ परिवार एवं कार्यालयों में दोहरी भूमिकाओं का निर्वाह करते हुये सामन्जस्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं।

संयुक्त परिवार में सहयोग की स्थिति

इरावती, कर्वे (1953) के अनुसार प्राचीन भारत में परिवार निवास सम्पत्ति और प्रकार्यों के आधार पर संयुक्त था। उन्होंने ऐसे परिवारों को परम्परागत या संयुक्त परिवार कहा है।

कपाड़िया (1966) का मत है कि हमारा पुरातन परिवार केवल संयुक्त था परिवार पितृसत्ता में ही नहीं था, बल्कि इसके साथ–साथ हमारे परिवार केन्द्रित भी होते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाली स्त्री को थोड़े बन्धन के साथ–साथ उन्हें पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार के सदस्य भिन्न–भिन्न रूपों में स्त्रियों की सहायता करते हैं। पारिवारिक सदस्यों द्वारा उत्तरदाताओं को मिलने वाले सहयोग की स्थिति का वर्गीकरण निम्न सारणीं में किया गया है।

सारणी संख्या–1

उत्तरदाताओं का संयुक्त परिवार में सहयोग का स्तर

संयुक्त परिवार में सहयोग का स्तर	संख्या	प्रतिशत
गृहकार्यों में हांथ बँटाकर	66	22
बच्चों का ध्यान रखकर	36	12
परिवार का दैनिक कार्य करके	18	06
सभी प्रकार से सहयोग देकर	180	60
कुल योग	300	100

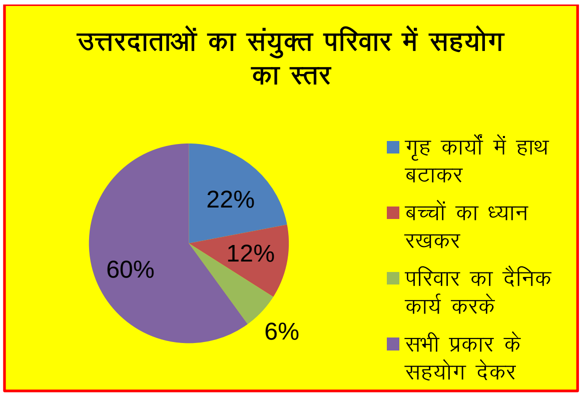

सारणी संख्या–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं। 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि संयुक्त परिवार केवल ग्रह कार्यों में हाथ बटाकर सहयोग देते हैं। जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि संयुक्त परिवार बच्चों का ध्यान रखकर सहयोग देते हैं तथा केवल 06 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें कहा कि संयुक्त परिवार के दैनिक कार्य करके मुस्लिम स्त्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं।

मुस्लिम स्त्रियों का संयुक्त परिवार में जीवन यापन

वर्तमान समय में आज भी भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का महत्व अधिक है। संयुक्त परिवार मुस्लिम स्त्रियों की विभिन्न प्रकार से सहायता कर सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में संयुक्त परिवार में मुस्लिम स्त्रियों के जीवन–यापन के स्वरूप के सम्बन्ध में जानने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में एकत्रित किए गये तथ्यों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या–2

मुस्लिम स्त्रियों का संयुक्त परिवार में जीवन–यापन

संयुक्त परिवार में जीवन–यापन पर प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
आपस में सामंजस्य करके	246	82
मात्र औपचारिकता निभाकर	–	–
अपना अलगाव करके	09	03
बिना किसी भेदभाव के	45	15
भेदभावपूर्ण	–	–
कुल योग	300	100

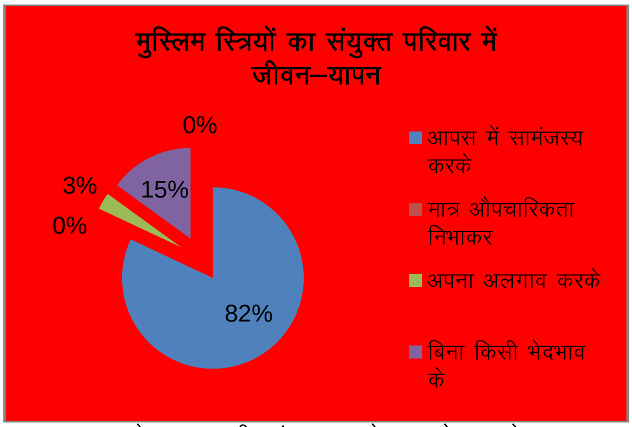

उपरोक्त सारणी संख्या 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि संयुक्त परिवार में मुस्लिम स्त्रियों को आपस में सामंजस्य करके रहना चाहिए। 15 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों ने बताया है कि इन परिवारों में बिना किसी भेदभाव के रहना चाहिए। मात्र 03 प्रतिशत स्त्रियों का कहना था कि वे अपना अलगाव करके एकाकी परिवार में रहना चाहती हैं। और मात्र औपचारिकता निभाकर एवं भेदभाव पूर्ण जीवन यापन की प्रतिशतता अध्ययन के समय नगण्य पाई गयी है। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश संख्या में मुस्लिम स्त्रियाँ संयुक्त परिवार में सामंजस्य करके रहने हो अत्यधिक उचित मानती हैं।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017

E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

परिवार के बीच तनाव का अनुभव

वर्तमान समाज वैश्विक समाज है और इस समाज में सामाजिक परिवर्तन से पारिवारिक जीवन अप्रभावित नहीं रहा है। परिवार के बीच आधुनिक परिवार में सिर्फ पति–पत्नी और उनकी संताने रहती हैं। ऐसे परिवारों में लोग अपना जीवन अच्छी तरह से यापन करते हैं। साथ ही पति व पत्नी के बीच विचारों की सभ्यता बनी रहती है। पत्नी की नौकरी के कारण सम्पूर्ण परिवार के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। यदि मुस्लिम स्त्रियाँ गतिशीलता को प्राप्त करना चाहती हैं तो उनके परिवार में कार्यशीलता एवं गतिशीलता के कारण किस प्रकार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिये शोधार्थी ने प्राप्त आकड़ों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया है–

सारणी संख्या–3

गतिशीलता और परिवार के बीच तनाव पर प्रतिक्रिया

पारिवारिक तनाव पर प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
नहीं	18	06
बिल्कुल नहीं	60	20
उदासीन	30	10
कभी–कभी	138	46
सदैव	54	18
कुल योग	300	100

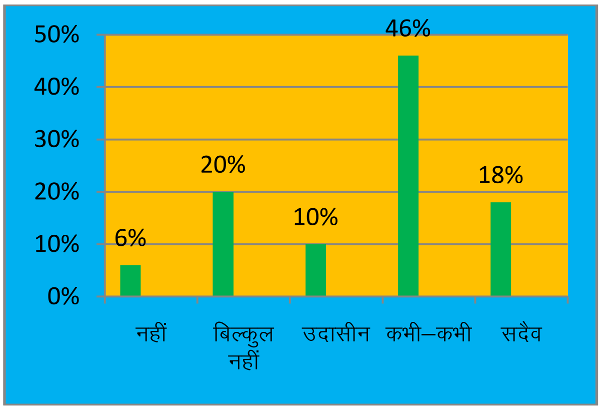

उपरोक्त सारणी संख्या 3 के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि गतिशील एवं कार्यकारी होने पर परिवार में कभी–कभी तनाव उत्पन्न हो जाता है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें गतिशीलता एवं कार्यशील होने पर परिवार में कभी तनाव महसूस नहीं किया। 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें सदैव तनाव का अनुभव किया, 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सर्वेक्षण के दौरान 06 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों ने बताया कि उनके कार्यकारी होने के बावजूद तनाव उत्पन्न नहीं होता।

पति–पत्नी के मध्य तनाव के अनुभव

आधुनिक सामाजिक परिवर्तन से पारिवारिक जीवन अप्रभावित नहीं रहा है। परिवार के बीच आधुनिक परिवर में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। ऐसे परिवारों में लोग अच्छी तरह से रहते हैं तथा पति–पत्नी के विचारों के बीच सामंजस्य होता है। पत्नी की कार्यशीलता के कारण पति–पत्नी के बीच सामंजस्य अच्छा होता है। उनके मध्य किसी भी तरह के झगड़े उत्पन्न नहीं होते, किन्तु जहाँ पति–पत्नी दोनों के कार्यशील होने पर समायोजन ठीक प्रकार से नहीं होता है, वहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यशीलता किस प्रकार पति–पत्नी के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए संकलित किए गये तथ्यों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या–4

कार्यशीलता और पति–पत्नी के मध्य तनाव की स्थिति

तनाव का अनुभव	संख्या	प्रतिशत
परिवार व बच्चों की उपेक्षा के कारण	105	35
पर्दा–प्रथा के कारण	45	15
सास–श्वसुर के कारण	60	20
पति की प्रशंसा का पात्र न बनने के कारण	36	12
ङदासीन	06	02
कार्यालय के तनाव के कारण	48	16
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनके कार्य का प्रभाव सबसे अधिक उनके परिवार और बच्चों पर पड़ता है तथा इसी प्रभाव के कारण पति–पत्नी में तनाव बना रहता है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके सास–श्वसुर के कारण उनके कार्य तथा पति–पत्नी के बीच समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि उनके कार्य करने की स्थिति के कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण के उपरान्त 15 प्रतिशत स्त्री उत्तरदाता ऐसी भी पाई गईं जिन्होंने पर्दा–प्रथा को पति–पत्नी के बीच तनाव का महत्वपूर्ण कारण बताया। 12 प्रतिशत स्त्रियों ने बताया कि वह कार्यालय के काम में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण पति पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाती, जिससे दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मात्र 02 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में उदासीन पायी गयीं।

परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार का स्वरूप

परिवार और रोजगार की अलग–अलग माँगों को निभाने के लिये स्त्री को दोहरी भूमिका के बढ़ते दबाव और समय की कमी के कारण मुस्लिम स्त्रियों को अक्सर इन दोनों भूमिकाओं के बीच टकराव की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः इन दोहरी भूमिकाओं को निभाते हुए मुस्लिम स्त्रियाँ अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से भूमिका निर्वहन एवं सामंजस्य स्थापित करती हैं। इन्हीं तथ्यों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है–

सारणी संख्या–5
परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार के स्वरूप

पारिवारिक सम्बन्ध का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
सहयोगपूर्ण	165	55
सामान्य	54	18
सामन्जस्य पूर्ण	45	15
उदासीन	06	02
प्रतिक्रियावादी	30	10
कुल योग	**300**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या–5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनके परिवार के सदस्यों के साथ सहयोगपूर्ण सम्बन्ध है। 18 प्रतिशत स्त्रियों के अपने परिवार के साथ सम्बन्ध सामान्य हैं, 15 प्रतिशत स्त्रियाँ अपने परिवार में सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध बनाकर रहती हैं और 18 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ हैं जो अपने परिवार में प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली हैं। और 02 प्रतिशत स्त्रियों के अपने परिवार के साथ सम्बन्ध उदासीन पाये गये। इससे यह ज्ञात होता है कि अधिकतर स्त्रियाँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ सहयोगपूर्ण (मधुर) सम्बन्ध चाहती हैं।

पति पत्नी के बीच सम्बन्ध

वैवाहिक तालमेल या सामंजस्य को प्रभावित करने में पत्नी को पति द्वारा सहायक अथवा बराबरी का दर्जा देने की भूमिका होती है। पति–पत्नी को एक दूसरे की बढ़ती सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति ईर्ष्या की भावना तथा टकराव की स्थिति उत्पन्न करने वाली माँग तथा अपेक्षाओं आदि के कारण ही अधिकांश वैवाहिक सम्बन्ध टूटते हैं।

प्रमिला कपूर (1970) नें अपने अध्ययन में पति–पत्नी के सम्बन्धों की ओर अधिक ध्यान दिया है और उन कारणों को सामने लाने का प्रयास किया है जो भारत में शहरी शिक्षित एवं कार्यशील स्त्रियों के वैवाहिक सामन्जस्य को बनाने में अथवा बिगाड़नें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं–

सारणी संख्या–6
पति–पत्नी के सम्बन्धों की स्थिति का वर्गीकरण

सम्बन्धों का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
मधुर	240	80
सामान्य	30	10
सामंजस्यपूर्ण	27	09
उदासीन	–	–
प्रतिक्रियावादी	03	01
कुल योग	**300**	**100**

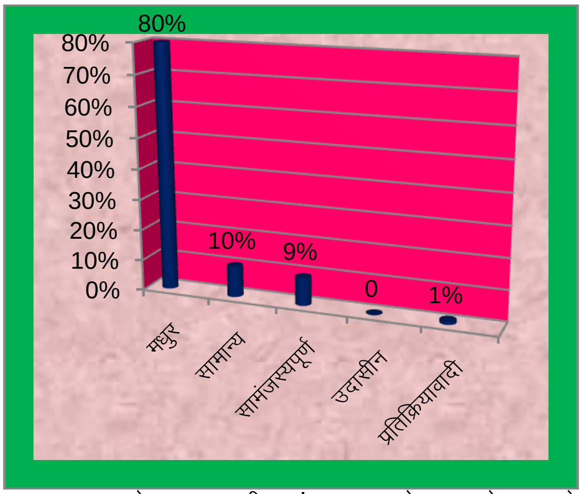

उपरोक्त सारणी संख्या–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों के अपने पति के साथ सम्बन्ध मधुर पाये गये। 10 प्रतिशत स्त्रियों के सम्बन्ध केवल सामान्य थे, 09 % स्त्रियाँ इस सम्बन्ध में सामन्जस्यपूर्ण थीं, 01 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों ने कार्यशीलता के कारण अपने सम्बन्ध प्रतिक्रियावादी बताए और अध्ययन के दौरान उदासीन सम्बन्ध किसी उत्तरदाता नें नहीं बताया अर्थात उनमें उदासीन सम्बन्ध नगण्य पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश अर्थात 80 % मुस्लिम स्त्रियों के अपने पतियों के साथ सहयोगात्मक (मधुर) सम्बन्ध हैं। उनका कहना है कि उनके पति स्त्रियों का शिक्षित एवं कार्यशील होने के कारण उनकी सभी समस्याओं को भली भांति समझते हैं तथा हर क्षेत्र में उनको सहयोग प्रदान करते हैं।

परिवार में निर्णयात्मकता की आवश्यकता

परिवार में निर्णयात्मकता की आवश्यकता अति आवश्यक होती है। इससे सदस्यों की परिवार में भूमिका निर्वाह की स्थिति स्पष्ट होती है।

सारणी संख्या–7
परिवार में निर्णयात्मकता की आवश्यकता का वर्गीकरण

परिवार के सदस्य	मद	संख्या	प्रतिशत
माता–पिता	दैनिक व्यय	48	16
ताऊ–ताई	बचत	60	20
चाचा–चाची	आवास	45	15
भाई–बहन	शिक्षा	75	25
सास–श्वसुर	चिकित्सा	33	11
पति–पत्नी	मनोरंजन	09	03
स्वयं अकेली	अन्य विविध खर्च	30	10
कुल योग		300	100

उपरोक्त सारणी संख्या–7 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 25 % उत्तरदाता शिक्षा पर खर्च करने हेतु भाई–बहन से सलाह के पश्चात खर्च करती है। 20 % बचत पर ताऊ–ताई का निर्णय रहता है, 16 % दैनिक व्यय पर माता–पिता का, 15 % आवास हेतु चाचा–चाची का निर्णय और 11 % सास–श्वसुर का रहता है चिकित्सकीय खर्च हेतु, 10 % वह स्वयं विविध खर्च हेतु

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

निर्णय लेती है। मात्र 03 % मनोरंजन पर खर्च वह पति–पत्नी दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं।

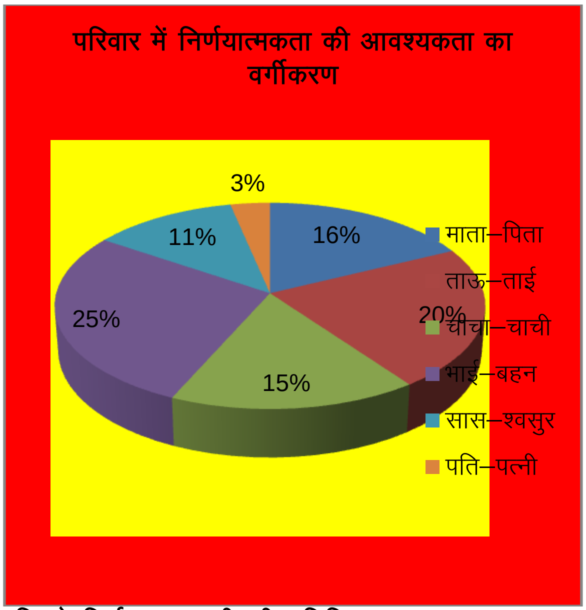

पति के निर्णय पर पत्नी की प्रतिक्रिया

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक शिक्षा के प्रभाव तथा नारीवादी आन्दोलनों के प्रभाव के कारण अब स्त्रियाँ भी अपने पति के निर्णयों का खुलकर विरोध करती हैं तथा उनसे तर्क–वितर्क भी करती हैं और उचित सुझाव भी देती हैं। इस अध्ययन में पति द्वारा लिये गये निर्णय तथा उस निर्णय के प्रति पत्नी की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया है और संकलित तथ्यों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी संख्या–8

पति के निर्णय पर पत्नी की प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
मैं कभी विरोध नहीं करती हूँ	186	62
कभी–कभी विरोध करती हूँ	78	26
प्रायः विरोध करती हूँ	21	07
पीठ पीछे विरोध करती हूँ	15	05
कुल योग	**300**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या–8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 62 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ अपने पति का कभी विरोध नहीं करती है, 26 प्रतिशत स्त्रियाँ अपने पति का कभी–कभी विरोध करती है, 07 प्रतिशत स्त्रियाँ प्रायः विरोध करती हैं तथा 05 प्रतिशत स्त्रियाँ पीठ पीछे विरोध करती हैं। इस विश्लेषण से स्पट होता है कि लगभग आधे से अधिक पत्नियाँ कभी विरोध नहीं करती है, जबकि आधे परिवार की पत्नियाँ किसी न किसी रूप में विरोध अवश्य करती हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अधिकतर रोजगार युक्त मुस्लिम स्त्रियाँ यह चाहती हैं कि पुरुषों को भी स्त्रियों के साथ परिवार के विभिन्न कार्यों में सहयोग देना चाहिए। क्योंकि उनके इस सहयोग के द्वारा स्त्री अपने कार्य तथा अपने परिवार के बीच सुव्यवस्थित ढंग से समायोजन कर सके और इस समायोजन के द्वारा समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। अधिकतर कार्यशील स्त्रियाँ अपने परिवार और बच्चों के प्रति अधिक सोचती हैं वे अपने कार्य के समय में उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं समझती हैं। वे कार्यालय तथा परिवार दोहरी भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न करती रहती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रॉस, एलीन.1961. *द हिन्दू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग्स,* बॉम्बे : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 31–32।
2. जकरिया, मौलाना.1949. *''फजाइले आमाल'',* नई दिल्ली : मदीना बुक डिपो, उर्दू बाज़ार, पृष्ठ 24 ।
3. कर्वे, इरावती.1953. *किनशिप आर्गनाइज़ेशन इन इण्डिया,* पूना : डीकन कॉलेज मोनोग्राफ, पृष्ठ 128–131।
4. कपाड़िया, के0एम0 1966. *भारत में परिवार एवं विवाह,* मुम्बई: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 87 ।
5. देसाई, आई0पी0 .1964. *सम ऑसपेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ विलेज,* बाम्बेः एशिया पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 19।
6. कपूर, प्रमिला. 1970. *मैरिज एण्ड द वर्किंग वुमैन इन इण्डिया,* नई दिल्ली:विकास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 109–110।
7. Taro, Yamane. 1970. Statistics Introductory Analysis. Harper and Row, Page N0-64-65.
8. दुबे, श्यामाचरण.1963. *मैन्स एण्ड वुमैन रोल इन इण्डिया,* पेरिसःएशिया पब्लिसर्श, पृष्ठ 47।
9. Fatima, N. 1975. Attitude of Muslim Women of AMU towards Marital Relations and Adjustment (Socio. AMU) Page No 60-62.